



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
Ministry of Labour & Employment Govt. of India



उप-क्षेत्रीय कार्यालय: ओखला
एफ-2/3 ओखला फेज-1 नई दिल्ली-20
Sub-Regional Office Okhla
F-2/3, Okhla Phase-I, New Delhi-110020
Phone: 011-2681461 Email: dir-okhla@esic.nic.in
Website: www.esic.gov.in

फा.सं. 20-जेड/17/12/1/2025-प्रशा.

दिनांक: 19.03.2025

परिपत्र

विषय:- एच.आर.एम.एस. Module में आवासीय पते को अपडेट करने के संदर्भ में।

प्रायः यह देखा गया है कि ग्रुप सी स्टाफ एच.आर.एम.एस. Module में आवासीय पते को अपडेट नहीं कर रहे हैं। जिसके कारण कार्यालय को स्थानांतरण के दौरान समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि आवासीय पते को ईआरपी Module से सत्यापित किया जाता है। गलत या पुराने पते के कारण कर्मचारियों को कभी-कभी दूर के स्थानों पर तैनात कर दिया जाता है।

उक्त के संबंध में सभी कर्मचारियों को दिनांक 26.03.2025 तक बिना किसी देरी के एच.आर.एम.एस. Module में अपना वर्तमान आवासीय पते को अपडेट करने का निर्देश दिया जाता है। इसके अलावा भविष्य में आवासीय पते में कोई भी बदलाव तुरंत सिस्टम में अपडेट किया जाना चाहिए, ताकि डाटा की सटीकता सुनिश्चित की जा सके और ट्रान्सफर पोस्टिंग में कोई रुकावट नहीं हो।

जो कर्मचारी अपने आवासीय विवरणों को अपडेट करने में विफल रहते हैं, वे अपने स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। इस मामले में किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जाएगा।

Digitally signed by
CHITRANJAN KUMAR DAS
Date: 21-03-2025
(चित्रानंदन कुमार दास)
14:54:51
उप-निदेशक (प्रशा.)

सेवा में,

1. सभी शाखाधिकारी, उप क्षेत्रीय कार्यालय, ओखला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. सभी कार्यालय अधीक्षक, उप क्षेत्रीय कार्यालय, ओखला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके प्रतिवेदन अधिकारी के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. शाखा प्रबंधक, शाखा कार्यालय ओखला/कालकाजी/आश्रम/पालम।
4. उप-निदेशक (प्रभारी) के निजी कक्ष।
5. नोटिस बोर्ड/गार्ड फाईल।